विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/पीएच.डी.पंजी./2018/01 -:: अधिसूचना ::- दिनांक :1-1-18

आदेशानुसार अधिसूचित किया जाता है कि,माननीय कुलपतिजी द्वारा शोधग्रंथ प्लेगेरिज्म मानक एवं नियमावली निर्धारण हेतु गठित संकायाध्यों की समिति की बैठक दिनांक 12.12.2017 की अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.12.2017 में मान्य करते हुए लिये गये निर्णयानुसार शोध ग्रंथ प्लेगेरिज्म मानक एवं नियमावली का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है :-

01. **प्लेगेरिज्म जॉच का प्रतिशत** :-

क्र.	पाठ्यक्रम	प्रतिशत
01.	एम.फिल. एवं पीएच.डी. के स्तर पर	10%
02.	**स्नातकोत्तर स्तर पर** समर ट्रेनिंग रिपोर्ट टूर रिपोर्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट असाइनमेंट डिजटेशन	25%

02. **प्लेगेरिज्म जॉच करने के नियम** :-

(अ) प्लेगेरिज्म जॉच करने की विधि के अन्तर्गत विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के द्वारा जमा किये गये शोध संक्षेपिका, शोध प्रबंध (Synopsis,Thesis),समर ट्रेनिंग रिपोर्ट,टूर रिपोर्ट,प्रोजेक्ट रिपोर्ट,असाइनमेंट,डिजर्टेशन,की जॉच केवल निम्न शीर्षकों पर लागू होगी :-

(I) परिणाम,चर्चा,निष्कर्ष एवं संक्षेपिका,उपसंहार(Observations,Results, Discussion,Summary & Conclusion)

(ब) विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों द्वारा जमा किये गये शोध प्रबंध एवं कार्य योजना व अन्य उपरोक्त सभी में से निम्न बिन्दुओं को प्लेगेरिज्म जॉच निम्न शीर्षकों पर लागू नहीं होगी :-

(I) विषय की प्रस्तावना,उद्देश्य, प्राक्कल्पनाऐं,आभार,शोध की प्रविधी,संदर्भ ग्रंथ सूची एवं आधार ग्रंथ सूची (Aim & Objects,Historical Resume,Acknowlegements,Preface,Materials & Mathods,Techniques, Bibliography & Webliography)

(II) विद्यार्थी तथा शोधार्थी व उनके शोध निर्देशक/सह-निर्देशक स्वयं के शोध कार्य पर बनाये गये प्रकाशित शोध पत्रों पर भी जॉच लागू नहीं होगी।

03. **प्लेगेरिज्म जॉच हेतु शुल्क एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने संबंधी निर्देश** :-

विश्वविद्यालय में शोध कार्य कर रहे शोधार्थियों से अपने शोध ग्रंथ की प्लेगेरिज्म जॉच कराने हेतु निम्न प्रकार से शुल्क देय होगा :-

01. पीएच.डी. शोधार्थियों के लिये रू. 1,000/-(अक्षरी रूपये एक हजार मात्र)।
02. एम.फिल. एवं स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के लिये रू. 500/- (अक्षरी रूपये पॉच सौ मात्र)।

उपरोक्त जॉच हेतु अपने शोध निर्देशक एवं शोध केन्द्र से संबंधित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/निदेशक के माध्यम से केन्द्रीय पुस्तकालय में आवेदन एवं शुल्क रसीद के साथ प्रस्तुत किये जाने पर शोधार्थी/छात्र को प्लेगेरिज्म जॉच का प्रमाण-पत्र प्रभारी केन्द्रीय पुस्तकालय द्वारा प्रदान किया जायेगा।

अतः समस्त विभागाध्यक्ष,प्राचार्य,अध्ययनशाला,शासकीय महाविद्यालय,(शोध केन्द्र की मान्यता प्राप्त) शोध केन्द्र एवं शोध केन्द्रों पर पदस्थ शोध निर्देशक/सह-निर्देशक,विक्रम विश्वविद्यालय,परिक्षेत्र उपरोक्त निर्देशों के परिपालन में कृपया आवश्यक कार्यवाही के अन्तर्गत शोध कार्य प्लेगेरिज्म के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर ही शोध प्रबंध अग्रेषित एवं जमा कराने की प्रक्रिया अनिवार्यतः सुनिश्चित करेंगे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02

–:: शपथ पत्र ::–

(सभी माध्यम में प्रस्तुत किये जाने वाले शोध कार्य हेतु अनिवार्य)

मैं .... आत्मज/आत्मजा...निवासी...आयु........... वर्ष, शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि, मैं विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन के अध्यादेश क्रमांक .... के प्रावधानान्तर्गत शोधार्थी हूँ। मेरा विवरण निम्नानुसार है :–

01. विषय ....संकाय..
02. शोध पंजीयन दिनांक (रजिस्ट्रेशन) .... नामांकन क्रमांक(एनरोलमेंट नं.) ....
03. (अ)शोध निर्देशक का नाम ....

    (ब)सह–शोध निर्देशक का नाम..

    (स)शोध केन्द्र ....
04. शोध शीर्षक ....

    ....
04. पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा तिथि .... अनुक्रमांक ....
05. प्रवेश परीक्षा परिणाम .... पूर्णाकं................ प्राप्तांक ....
06. डी.आर.सी. की तिथि .... आर.डी.सी. की तिथि ....
07. कोर्सवर्क परीक्षा में सम्मिलित होने की तिथि .... अनुक्रमांक ....
08. कोर्सवर्क परीक्षा परिणाम .... पूर्णाकं................ प्राप्तांक ....
09. शोध ग्रंथ जमा करने की तिथि ....

विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक/अकादमिक/पीएच.डी.पंजी/2017/1128,दिनांक 10.08.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक/अकादमिक/पीएच.डी.पंजी/2017/1228,दिनांक 22.12.2017 के अनुपालन में मै यह कथन प्रस्तुत करता/करती हूँ कि,मेरे द्वारा विश्वविद्यालय में जमा किया गया शोध प्रबंध कार्य पूर्णतः मौलिक एवं निर्धारित प्लेगेरिज्म मानकों एवं नियमावली के अनुसार मूलतः प्रस्तुत किया गया है। यदि भविष्य में मेरे शोध प्रबंध की जॉच में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक प्लेगेरिज्म पाया जाता है, तो मेरी शोध प्रबंध मूल्यांकन प्रक्रिया एवं उपाधि को निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को होगा एवं विश्वविद्यालय का निर्णय जा भी हो वह मुझे स्वीकार्य होगा।

शपथ ग्रहिता

– सत्यापन –

मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ की मेरे द्वारा प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य व सही है इसमें कोई त्रुटी अथवा गलत जानकारी पाई जाती है। तो इसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

यह शपथ पत्र मेरे द्वारा आज दिनांक .... को .... में सत्यापित किया गया है।

शपथ ग्रहिता

अग्रेषित

शोध निर्देशक	विभागाध्यक्ष अध्ययनशाला,वि.वि.उज्जैन	प्राचार्य शा.महाविद्यालय,

नोटः– शपथ पत्र तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जावे। (एक प्रति केन्द्रीय पुस्तकालय में एवं दो प्रतियां पीएच.डी. कार्यालय में प्रेषित की जाये)